संख्या- 14/1436 /अड़तीस-7-2014-407नरेगा/2010

प्रेषक,

वी0एन0गर्ग,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 23 जून, 2014

विषय- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में वृक्षाच्दादित क्षेत्र निर्धारित मानक से बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 5.86 प्रतिशत वनावरण तथा 3.4 प्रतिशत क्षेत्र इस प्रकार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9.26 प्रतिशत क्षेत्र में ही वनावरण एवं वृक्षाच्छादन है। अधिक के अधिक वृक्षारोपण कराये जाने से ही लक्ष्य की प्राप्ति एवं प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षाच्छादन में वृद्धि होगी। इस संबंध में वन विभाग के शासनादेश संख्या- 09/14-5-2014-15/2013, दिनांक: 19-02-2014 द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा शासनादेश संख्या-1382/14-5-2014-133/2012 दिनांक: 18-06-2014 के द्वारा वन महोत्सव के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अन्तर्गत वृक्षारोपण के लिए नर्सरी की स्थापना को भी मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों की श्रेणी में रखा गया है। इस संबंध में आयुक्त, ग्राम्य विकास ने अपने पत्र दिनांक: 12-06-2014 द्वारा निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक: 09-06-2014 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त की छायाप्रति संलग्न है।

3- अनुरोध है कि कृपया व्यक्तिगत रूचि लेते हुए इस संबंध में त्वरित एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए वृक्षारोपण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें। इस हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि को युगपति करते हुए कार्यवाही करायी जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(वी0एन0गर्ग)
कृषि उत्पादन आयुक्त ।

संख्या- 1436 (1)/अड़तीस-7-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0शासन।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ/अपर प्रमुख वन संरक्षक सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
3. आयुक्त/ रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, डीआरडीए, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, वृक्षारोपण ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in